

**न्यायालय:-शरद जोशी न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी अंजड**  
**जिला-बडवानी (म0प्र0)**  
**आपराधिक प्रकरण क्रमांक 177/2017**  
**संस्थित दिनांक 21.03.2017**

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द, अंजड,  
जिला-बडवानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

1. सुनिल पिता राधेश्याम कोली, आयु 25 वर्ष,  
निवासी सजवाय थाना अंजड,जिला बडवानी म0प्र0 ।
2. संतोष पिता राधेश्याम कोली, आयु 23 वर्ष,  
निवासी सजवाय थाना अंजड,जिला बडवानी म0प्र0 ।

-----अभियुक्तगण

---

राज्य तर्फे एडीपीओ	- श्री अकरम मंसूरी ।
अभियुक्तगण तर्फे अभिभाषक	- श्री संजय गुप्ता ।

---

// निर्णय //

**(आज दिनांक 12.03.2018 को घोषित )**

अभियुक्तगण पर धारा 294,452,323/34,506(बी) भा.द.सं. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि,उन्होंने दिनांक 01.03.2017 को समय शाम 06:00 बजे,स्थान-ग्राम सजवाय फरियादी के घर के बाहर फरियादी ललिताबाई और नंदाबाई को मां बहन की अश्लील गालिया देने, फरियादी को उपहति करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार करने ,थप्पड मुक्के से मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप है ।

2. अभियुक्तगण व फरियादी ललिताबाई व आहत् नंदाबाई के मध्य अंतर्गत धारा 294,323,506 भाग-2 भा.द.सं. में राजीनामा हो जाने से अभियुक्तगण को

उक्त धाराओं के अंतर्गत दोषमुक्त किया जा चुका है। अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 452 भा.द.सं. में विचारण जारी रखा गया।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, दिनांक 01.03.2017 को शाम 06:00 बजे ललिताबाई तथा उसकी लडकी नंदाबाई घर पर थे, कि, उनके मोहल्ले के संतोष व उसका भाई सुनिल दोनों घर के बाहर आये मां चोदु की नंगी नंगी अश्लील गालियां देने लगे जो उसे व मोहल्ले वालों को सुनने में बुरी लगी और बोले कि तुमने हमारे खिलाफ पुलिस थाने पर रिपोर्ट क्यों की है। उसने गालियां देने से मना किया तो दोनों अभियुक्तगण घर के अंदर घुस गये। दोनों अभियुक्तगण ने थप्पड़ मुक्के से उसके साथ मारपीट करने लगे। उसकी लडकी नंदाबाई बीच बचाव करने आई, तो उसके साथ भी दोनों ने मारपीट कर चोटे पहुंचाई। चिल्ला चोट झगड़े की आवाज सुनकर उसका जमाई विनोद तथा मोहल्ले का राजेश आ गये थे, ये लोग चिल्लाये तो अभियुक्तगण घर से भाग गये, और जाते जाते बोल रहे थे कि, आज तो बच गये किसी दिन जान से खत्म कर देंगे। उक्त मौखिक रिपोर्ट के आधार पर थाना अंजड में अपराध क्रं 69/2017 का दर्ज कर साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये हैं, आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया, तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्रीमती वंदना राज पाण्डेय, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 294, 452, 323/34, 506(बी) भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होकर झूठा फसाया जाना व्यक्त किया है, तथा बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया। धारा 294, 323, 506 भाग-2 भा.द.सं. में राजीनामा हो गया है। धारा 452 भा.द.सं. में विचारण जारी है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि —

1. आपने दिनांक 01.03.2016 को समय 06:00 बजे, स्थान— ग्राम सजवाय में फरियादी ललिताबाई के घर के अंदर घुस कर फरियादी को उपहति करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया?

**साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार**

6. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में ललिताबाई (अ.सा.1), नंदा (अ.सा.2), राजेश (अ.सा.3), प्रमोद कुमार शर्मा (अ.सा.4), पंढरी यादव (अ.सा.5), के कथन कराये गये हैं जबकि अभियुक्तगण की ओर उनकी प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

7. इस संबंध में विचार करने पर फरियादी ललिताबाई (अ.सा.1) ने अपने कथन में बताया है कि, अभियुक्तगण ने उसके साथ मारपीट की थी, किन्तु घर के अंदर प्रवेश कर मारपीट किये जाने से इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी नंदाबाई (अ.सा.2) जो कि, स्वयं आहत है, ने भी अभियुक्तगण के द्वारा घर में घुस कर मारपीट किये जाने के तथ्य से इंकार किया है। घटना के चक्षुदर्शी साक्षी राजेश (अ.सा.3) ने घटना का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है। अभियोजन ने उक्त तीनों साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न किये जाने की अनुमति चाही गयी है। जिसे न्यायालय द्वारा विचार उपरांत प्रदान की गयी। प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर उक्त तीनों साक्षियों ने आरोपित अपराध के संबंध में कोई उल्लेखनीय तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। साक्षी ललिताबाई (अ.सा.1) ने प्रथम सूचना प्रतिवेदन व कथन प्र०पी० 2 में अभियुक्तगण के द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने वाली बात से इंकार किया है।

8. चक्षुदर्शी साक्षी राजेश (अ.सा.3) ने पुलिस कथन प्र०पी० 4 देने से इंकार किया है। साक्षी पंढरी यादव (अ.सा.5) के द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र०पी० 1 लेखबद्ध की गयी थी, एवं प्र० आरक्षक प्रमोद कुमार शर्मा (अ.सा.4) ने घटना का नक्शा मौका प्र०पी० 5 व अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर प्र०पी० 6 एवं प्र०पी० 7 के पंचनामों बनाये थे, तथा साक्षीगण ललिताबाई (अ.सा.1), नंदाबाई (अ.सा.2) व राजेश (अ.सा.3) व अन्य साक्षियों के कथन अंकित किये थे।

9. यह सही है कि, प्रकरण में फरियादी/आहतगण ललिताबाई व नंदाबाई ने अभियुक्तगण के साथ राजीनामा कर लिया है, और यही कारण है कि, वह न्यायालय के समक्ष अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, चूंकि फरियादी, आहत एवं चक्षुदर्शी साक्षियों ने आरोपित अपराध के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। अतः पुलिस अधिकारी प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखक पंढरी यादव (अ.सा.5) एवं विवेचक प्रमोद शर्मा (अ.सा.4) के कथन पर अभियुक्तगण के विरुद्ध दोषिता का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, एवं जिस कारण अभियुक्तगण दोषमुक्ती के पात्र हो गये हैं। अतः अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है कि, घटना दिनांक 01.03.2016 को समय 06:00 बजे, स्थान—ग्राम सजवाय में अभियुक्तगण द्वारा फरियादी ललिताबाई के घर के अंदर घुस कर

फरियादी को उपहति करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया।

10. अतः न्यायालय अभियुक्तगण को दोषसिद्धि नहीं पाते हुये। धारा 452 भा.द.सं. के अपराध से दोषमुक्त करता है।

11. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते है, जप्त सम्पत्ति कुछ नहीं है।

12. अभियुक्तगण के अभिरक्षा में रहने के संबंध में धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

सही / -

सही / -

(शरद जोशी)  
न्यायिक मजिस्ट्रे, प्रथम श्रेणी,  
अंजड़, जिला बडवानी म.प्र.

(शरद जोशी)  
न्यायिक मजिस्ट्रे, प्रथम श्रेणी,  
अंजड़, जिला बडवानी म.प्र.

